

दिनांक / हुवम

21-11-19

कार्यवाही

हस्ताक्षर

पत्रावली पेशा हुआ। वकील वादी उप। वकील वादी
कोर्टा नोटिसेस किया है। वकील वादी का कथन
है कि इस पत्रावली में आगे नहीं चलेंगे चाहिए
है। नहीं कोर्टा नोटिसेस नहीं है। अब पत्रावली
कोर्टा नोटिसेस किया है। पत्रावली कोर्टा नोटिसेस
कोर्टा नोटिसेस से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़